न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 39/2011 एवं 40/2011 जिला सीकर

1. किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी धर्मपत्नी श्री खेमचन्द पिता किस्तूरी देवी पत्नी भोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी लोसल छोटी, तहसील व जिला सीकर । (मृतक)

1/1 पवन कुमार दत्तक पुत्र किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी धर्मपत्नी श्री खेमचन्द पिता किस्तूरी देवी पत्नी भोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी लोसल छोटी, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. नानूराम पुत्र जरिबक्स, जाति ब्राह्मण, निवासी बल्हुडा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
2. किशन लाल पुत्र हरिबक्स
3. बरजी देवी पत्नी अमरचन्द पुत्री खेमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लौसल छोटी, तहसील सीकर पूर्व निवासी भाडांसर तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
4. अन्नी देवी पत्नी बजरंग लाल ब्राह्मण पुत्री खेमचन्द निवासी ग्रम परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
5. शिवभगवान पुत्र जगदीश, जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
6. गंगाराम पुत्र जगदीश ,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
7. जीवनी पुत्री घीसाराम,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
8. गुलाबी पुत्री घीसाराम,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
9. छगन लाल पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
10. श्याम सुन्दर पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
11. बाबू लाल पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
12. जुगल किशोर पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
13. कमला पुत्री नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
14. रतनी पुत्री नानूराम एवं चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
15. नानूराम पति चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
16. सोनू पुत्री बिरदी देवी पत्नी हरिबक्स, निवासी बलडवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
17. सोहनी पुत्री बिरदी देवी पत्नी हरिबक्स, निवासी बलडवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
18. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.6.2011 बाबत नामांतरकरण संख्या 69 ग्रम पंचायत लोसल छोटी दिनांक 12.6.67 जो खेमाराम की विरासत का जानकी बेवा खेमाराम के नाम तस्दीक हुआ है ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

अपील संख्या 40/2011 जिला सीकर

1. किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी धर्मपत्नी श्री खेमचन्द पिता किस्तूरी देवी पत्नी भोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी लोसल दोटी, तहसील व जिला सीकर । (मृतक)

1/1 पवन कुमार दत्तक पुत्र किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी धर्मपत्नी श्री खमचन्द पिता किस्तूरी देवी पत्नी भोलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी लोसल छोटी, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. नानूराम पुत्र हरिबक्स , जाति ब्राह्मण, निवासी बल्हुडा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
2. किशन लाल पुत्र हरिबक्स
3. बरजी देवी पत्नी अमरचन्द पुत्री खेमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लौसल छोटी, तहसील सीकर पूर्व निवासी भाडांसर तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
4. अन्नी देवी पत्नी बजरंग लाल ब्राह्मण पुत्री खेमचन्द निवासी ग्रम परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
5. शिवभगवान पुत्र जगदीश , जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
6. गंगाराम पुत्र जगदीश ,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
7. जीवनी पुत्री घीसाराम,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
8. गुलाबी पुत्री घीसाराम,जाति ब्राह्मण, निवासी इण्डाली, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
9. छगन लाल पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
10. श्याम सुन्दर पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
11. बाबू लाल पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
12. जुगल किशोर पुत्र नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
13. कमला पुत्री नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
14. रतनी पुत्री नानूराम एवं चुकी देवी , जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
15. नानूराम पति चुकी देवी, जाति ब्राह्मण, निवासी परेवाडी, तहसील नांवा, जिला नागौर ।
16. सोनू पुत्री बिरदी देवी पत्नी हरिबक्स, निवासी बलडवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
17. सोहनी पुत्री बिरदी देवी पत्नी हरिबक्स, निवासी बलडवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
18. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.6.2011 बाबत नामांतरकरण संख्या 115 ग्रम पंचायत लोसल छोटी दिनांक 23.5.69 जो जानकी देवी पत्नी खेमाराम की विरासत का मु. किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम तस्दीक हुआ है ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनाक –13.6.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत खेमाराम की विरासत के नामांतरकरण संख्या 69 मु. जानकी देवी पत्नी खेमाराम के नाम ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 12.6.67 को तस्दीक , के विरूद्ध अपील संख्या 5/2009 में उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.6.2011 के खिलाफ एवं जानकी देवी पत्नी खेमाराम की विरासत के नामांतरकरण संख्या 115 मु. किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 23.5.69 को तस्दीक, के विरूद्ध अपील संख्या 4/2009 में उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.6.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलो के पक्षकार, तथ्य, विषयवस्तु एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों

का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम लोसल छोटी , तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 89, 196, 205, 668 पुराने नम्बर 32/1, 33, 188, 194 कुल कता 4 कुल रकबा 39 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार खेमाराम पुत्र मोखाराम ब्राह्मण था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 69 ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 12.6.67 को मु. जानकी देवी पत्नी खेमाराम के नाम तस्दीक किया गया एवं मु. जानकी देवी के फौत होने पर जानकी देवी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 115 ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 23.5.69 को किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम तस्दीक किया गया । उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 एवं नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.5.69 से व्यथित होकर पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष बरजी देवी पुत्री खेमचन्द द्वारा दिनांक 23.3.2007 एवं 17.3.2009 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, जो पृथक पृथक अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2011 द्वारा नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 में खेमाराम पुत्र मोखाराम की विरासत केवल उसकी पत्नी जानकी बेवा खेमा राम के खोलने जबकि उसके उस समय 6 बेटिंया ओर थी जिनका नाम नहीं डालाने तथा नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.5.69 में मृतक जानकारी बेवा खेमाराम की विरासत किस्तूरी बेटी जानकी के नाम खोली गई जबकि जानकी की 5 अन्य बेटिंया होने के आधार पर नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 एवं नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.5.69 खारित कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को मृतकों के सभी वारिसान को मजमेआम में सुनकर नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उपरोक्त दोनों अपीलाधीन आदेशों दिनांक 28.6.2011 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा पृथक पृथक यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई जिनमें से खेमाराम की विरासत के नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 जो मु. जानकी देवी बेवा खेमाराम के नाम ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 5/2009 में उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2011 के खिलाफ प्रस्तुत यह अपील संख्या 39/2011 पर दर्ज की गई एवं मु. जानकी देवी की विरासत के नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.5.69 जो किस्तूरी देवी पुत्र जानकी देवी के नाम ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा तस्दीक किया था, के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 4/2009 में उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2011 के खिलाफ प्रस्तुत यह अपील संख्या 40/2011 पर दर्ज की गई है । दोनों अपीलों में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 28.6.2011 निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 एवं नामांतरकरण सख्या 115 दिनांक 23.5.69 यथावत कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 एवं नामांतरकरण सख्या 115 दिनांक 23.5.69 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 बरजी देवी की प्रथम अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष करीबन 40 एवं 38 साल के निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको विधिक रूप से नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । न्यायालयों को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय करना कानूनी रूप से आवश्यक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मियाद के संबंध में एक शब्द भी अंकित किये बिना निराशाजनक रूप से विलम्बित अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि की है । यह सम्भव व मानने योग्य नहीं है कि किसी भी वारिस को उसके पिता की फौतगी पर विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान इतनी दीर्घ अवधि 40 व 38 वर्ष तक नहीं हो । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन था एवं कानूनी सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के मध्य नियमित वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जाती है , लेकिन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने 40 व 38 वर्ष की मियाद बाहर अपीलों को स्वीकार करते हुये इस आधार पर दिनांक 27.7.2011 को पक्षकारों के मध्य विचाराधीन नियमित वाद संख्या 43/2009 को खारिज कर

दिया एवं पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नामांतरकरण की अपीलों में कर दिया जाना बताया गया , जिससे भी अपीलाधीन आदेश सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 चुकी देवी पत्नी नानूराम पुत्री खेमचन्द का अपील के विचाराधीन रहते देहान्त हो चुका था एवं उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की जाकर मृतक चुकी देवी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि इस अपील के रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील में हरबक्स पति बिरदी देवी के फौत हो जाने पर केवल नानूराम व किशन लाल को ही पक्षकार बनाया गया था जबकि उनकी अन्य पुत्रियां सोनू, परमेश्वरी, चुंकी देवी, सोहनी आदि भी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि इतने लम्बे अन्तराल के बाद यदि किसी व्यक्ति के विरासतन कोई अधिकार उत्पन्न होते हैं तो वे जरिये वाद में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगें न कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में । अधीनस्थ न्यायालय के अपीलधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखे जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2013 पेज 1252 से 1256, आर.आर.टी. 2014 पेज 441 से 443, आर.आर.डी. 2016 पेज 96 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 634, 635 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार खेमाराम था जिसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 69 मृतक के अन्य विधिक वारिसान पुत्रियों को छोडते हुये केवल विधवा मु. जानकी देवी के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 12.6.67 को तस्दीक किया है एवं जानकी देवी की विरासत का नामांतरकरण सख्या 115 मु. किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 23.5.69 तस्दीक किया है । उनका कहना था कि मृतक खेमाराम के विधिक वारिस उसकी 6 पुत्रियॅा क्रमशः बिडदी देवी, मोहनी देवी, किस्तुरी देवी, बरजी देवी, अनी देवी, चुकी दवी तथा बेवा जानकी देवी थी एवं मृतक जानकी देवी के विधिक वारिस 6 पुत्रियॅा क्रमशः बिडदी देवी, मोहनी देवी, किस्तुरी देवी, बरजी देवी, अनी देवी, चुकी देवी थी , लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा विधिक वारिसान को छोडते हुये नामांतरकरण तस्दीक किये हैं , जो विधि विरूद्ध एवं शून्य है तथा ऐसे विधि विरूद्ध एवं शुन्य आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था कि पुत्रियॅा अपने पिता की सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है जिन्हें छोडते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं , जो शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट बरजी देवी की अपीलों में अपीलाधीन आदेशों दिनांक 28.6.2011 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को मृतक के सभी वारिसान की मजमे आम में सुनवाई कर नामांतरकरण स्वीकृत करने हेतु रिमाण्ड किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है , अतः दोनों अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के खातेदार खेमाराम की विरासत के नामांतरकरण एवं खेमाराम के बाद जानकी देवी पत्नी खेमाराम की विरासत के नामांतरकरण का विवाद है । ग्रम पंचायत द्वारा खेमाराम की विरासत का नामांतरकरण 69 दिनांक 12.6.67 को पुत्रियों को छोडते हुये केवल मु. जानकी देवी पत्नी खेमाराम के नाम तस्दीक किया गया एवं मु. जानकी देवी के फौत होने पर जानकी देवी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 115 ग्रम पंचायत लोसल छोटी द्वारा दिनांक 23.5.69 को अन्य पुत्रियों को छोडते हुये केवल एक पुत्री किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम तस्दीक किया है। उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ बरजी देवी पुत्री खेमचन्द की 40 व 38 वर्ष की विलम्बित अपीलों में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2011 द्वारा नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.678 में खेमाराम पुत्र मोखाराम की विरासत केवल उसकी पत्नी जानकी बेवा खेमा राम के खोलने जबकि उसके उसम समय बेटियॅा ओर थी जिनका नाम नहीं डालाने तथा नामांतरकरण संख्या 115

दिनांक 23.5.69 में मृतक जानकी बेवा खेमाराम की विरासत किस्तूरी बेटी जानकी के नाम खोली गई जबकि जानकी की अन्य बेटियॉ होने के आधार पर नामांतरकरण संख्या 69 दिनांक 12.6.67 एवं नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 23.5.69 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को मृतकों के सभी वारिसान को मजमेआम में सुनकर नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि खेमाराम एवं जानकी देवी की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा क्रमशः विधवा जानकी देवी पत्नी खेमाराम एवं एक पुत्री किस्तूरी देवी पुत्री जानकी देवी के नाम तस्दीक किये हैं जबकि मृतक खेमाराम एवं जानकी देवी के अन्य पुत्रियॉ ओर थी जिनको नामांतरकरण में छोड दिया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं मृतकों के विधिक वारिसानों की बिना जॉच किये तस्दीक नामांतरकरण को विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसरण में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 बरजी देवी की दोनों अपीलों में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2011 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करते हुये प्रकरण मृतक के सभी वारिसान को मजमेआम में सुनकर नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किये हैं , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक है तथा दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 13.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर